

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विशाल कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ कर्मचारी - १५५
 3. वर्तमान वेतन ३३,६८० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ३०.११.२०१२

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **"स्ट्रेट" परत, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>जिले का ५० डी वेतना ग्राम - <u>कचवाड़ा</u> <u>कहलिया - ६-४६</u> <u>जिला जोधपुर</u></p>	<p><u>घर</u> <u>४०० वर्ग फीट</u></p>		<p>४,००,०००</p>		<p><u>व्यक्ति</u> <u>जिले के कर्मचारी के लिये</u> <u>पाले की कनिष्ठ (५० डी)</u> <u>नं० १७२६</u> <u>जिला जोधपुर</u> <u>३ मार्च - २०११</u> <u>५५५५५५५५</u> <u>जोधपुर</u> <u>दि - १३-१०-१८</u></p>		

• जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्पकालीन परते भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विनियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवान् वह धोरण-पर धर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परते या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के स्वरूप में है।

हस्ताक्षर विशाल कुमार शर्मा
 नाम विशाल कुमार शर्मा
 पद कनिष्ठ कर्मचारी - १५५